न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–279 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सरोज मुखिया एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04.03.2020 14/6/20	आदेश प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1131 / मद्य0नि0को0 दिनांक–16.11.2019 से प्राप्त सदर (भालपट्टी ओ0पी0) थाना कांड सं0–400 / 19 दिनांक 22.09.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन बस रजि0 नं0–AS03E-0107 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली कि असम से एक बस में जिसका रजि0नं0–AS03E-0107 चौली में झोला एंव बैग में भरकर शराब समस्तीपुर जिला का चार लड़का कारोबार के लिए ला रहे है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु NH-57 मुरिया मोड़ पर चेकिंग लगा दिया तथा वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गयी। चेकिंग के क्रम में सूचना के मुताबिक उक्त वाहन AS03E-0107 आई, जिसे हाथ देकर रोका। उक्त बस को रोकने पर आसपास के लोक इकट्ठा हो गये, जिसमें से दो स्वतंत्र गवाह के समक्ष उक्त बस की तलाशी ली गयी, तो बस के पिछले भाग में बैठे चार पैसेन्जर अपने–अपने सीट के नीचे 09 कपड़ा का झोला तथा दो बैग रखे हुए थे, जिसे चेक करने पर सभी में शराब का बोतल भरा हुआ पाया गया। बस कर्मियों से विशेष पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि बस लेकर जोरहटा असम से भिट्ठापोड़/ सीतामढ़ी के लिए चला। इसके बाद रंजीत मुखिया अपने तीन साथी के साथ मेरे बस रजि0नं0–AS03E-0107 में रंजीत मुखिया के कहने पर उक्त चारों को गाड़ी में शराब से भरा 09 झोला तथा दो काला रंगा का बैग के साथ बैठाकर अपने बस से आ रहा था। जिसमें वो चारों अपने लिए 800/- रूपये प्रत्येक तथा प्रत्येक झोला एवं बैग के लिए 800/- रूपये कुल 12000/- रूपये में से 11,500/- रूपये दिये तथा खलासी ड्राइवर को खिलाते–पिलाते हुए चले कि पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। पैसा के लोभ में उक्त चारों को शराब के झोला एवं बैग के साथ अपने गाड़ी में बैठा लिया। यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त शराब का झोला एवं बैग मेरे एवं मेरे स्टाफ की जानकारी एवं सहमति से लाया जा रहा था। इस प्रकार जब्ती सूची के अनुसार 180*ml* का 755 पीस तथा 375*ml* का 40 पीस अवैध शराब बरामद हुआ। इस प्रकार उक्त वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब का चौर्य व्यापार करने की नीयत से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल द्वारा जब्त किया गया। चूँकि	

बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है विपक्षी नासिर मियाँ उक्त जब्त वाहन कि स्वामी हैं। उक्त वाहन आसाम से सीतामढ़ी के लिए आ रही थी। जिसमें बहुत से यात्री यात्रा कर रहे थे। जब बस दिनांक 22.09.2019 को समय करीब 10.55 बजे दिन में मुरिया मोड़ NH-57 पर पहुँची तो उस समय बस में 22 यात्री थे। मुरिया मोड़ पर पुलिस ने बस रोका और सभी 22 यात्रियों के सामानों की जाँच करने लगे तो चार यात्री (1) सरोज मुखिया (2) रंजीत मुखिया (3) राधे मुखिया (4) रोहित मुखिया सभी जिला समस्तीपुर के पास से झोला एवं बैग में शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसकी जानकारी विपक्षी के बस चालक, खलासी, कंडक्टर तथा विपक्षी वाहन स्वामी के लड़का जो बस की देख–रेख के लिए बस में था, को जानकारी नहीं थी। पकड़ाये व्यक्ति के संबंध में ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें सरोज मुखिया ने स्वीकार किया कि इस गाड़ी से पहली बार शराब ला रहे थे। विपक्षी वाहन स्वामी उक्त गाड़ी में नहीं थे और विपक्षी के बस के कर्मचारी का इसमें संलिप्तता नहीं है। उक्त बस विपक्षी अपने रोजी–रोटी के लिए चलाते हैं। उपरोक्त कांड में विपक्षी का कोई संलिप्ता नहीं है। अतः जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन बस रजि0नं0–AS03E-0107 से अवैध शराब परिवहन कर लाया जा रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चार व्यक्तियों के झोला एवं बैग से भारी मात्रा में कुल 180*ml* का 755 पीस तथा 375*ml* का 40 पीस अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान जब्त किया गया। अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त बस में बस कर्मियों के साथ वाहन स्वामी के पुत्र भी बस की देख–रेख में थे। उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि रंजीत मुखिया से पूर्व से परिचित हैं तथा उक्त शराब के संबंध में उन्हें जानकारी थी। पैसा के लोभ में उक्त व्यक्ति एवं शराब को बस में बैठाकर ला रहे थे। परन्तु पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त बस से भारी मात्रा में अवैध शराब का चौर्य व्यापार के नीयत से परिवहन कर उनकी सहमति से लाया जा रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन बस का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि यात्री के रूप में कुल 22 यात्री उक्त बस से यात्रा कर रहे थे, किसी को जानकारी नहीं थी कि किसके द्वारा बस में शराब लेकर यात्रा किया जा रहा है। पकड़ाये व्यक्ति के संबंध में ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। विपक्षी एवं उनके कर्मचारी का उक्त शराब से कोई संबंध नहीं है। तो इस

संबंध में प्राथमिकी से स्पष्ट है कि मो0 कलाम पे0–मो0 नसीर, जो बस मालिक के पुत्र हैं के द्वारा स्वीकार किया गया है कि उन्हें शराब के संबंध में जानकारी प्राप्त थी, पैसा के लोभ में शराब के साथ उक्त चारों व्यक्तियों को उनकी सहमति से लाया जा रहा था। इस प्रकार उक्त बरामद शराब से चौर्य व्यापार एवं परिवहन में बस एवं उनके कर्मचारी की सहभागिता सही साबित होता है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से यह कथन कि ड्राईवर या अन्य व्यक्ति के द्वारा गलत काम किया गया है, तो इस संबंध में विपक्षी वाहन स्वामी ड्राईवर अथवा अन्य व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सदर (भालपट्टी ओ0पी0) थाना कांड सं0–400/19 दिनांक 22.09.2019 में जब्त वाहन बस रजि0 नं0–AS03E-0107 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा